31-5-17 पुनश्चय इतना लिखने के बाद सामला नवलदेई (उप०) सामला की प्रार्थना पर दावा से कार्यवाही ड्रॉप की जा चुकी है अतः मूल दावा के आदेश की रोशनी में धा० प्र० 212 RTA इसी स्तर पर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार कर मूलवाद की पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

मि० नवलदेई